फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

कालूराम बनाम सरकार ग्रा.पं.

65/17 उर्फ

आज्ञा ...ही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
20-2-26	पत्रावली प्रस्तुत / वे.के.उप. / अनुपस्थिति के कारण निर्णय नहीं प्रसारित किया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27-2-26 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
27-2-26	पत्रावली प्रस्तुत / वे.के.उप. / तनकीह संख्या 1 व 2 वादीगण के विरुद्ध प्रमाणित होने से वाद वादीगण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :— सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या — 65/2014

वाद प्रस्तुति दिनांक —20.08.2008

कालूराम पटेल पुत्र श्री श्योसहाय जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पाटन तहसील बस्सी जिला जयपुर (मृतक जरिये वारिसान)

1/1. श्रीमती प्रभाती देवी पत्नी कालूराम
1/2. कैलाशचन्द पुत्र कालूराम
1/3. हरिशंकर पुत्र कालूराम
1/4. राधामोहन पुत्र कालूराम निवासियान् ग्राम पाटन, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
1/5. श्रीमती रामेश्वररी देवी पुत्री कालूराम पत्नी श्री रेवडजी
1/6. श्रीमती विमला पुत्री कालूराम पत्नी श्री रामजीलाल निवासियान् बनेडा, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
1/7. श्रीमती शिमला पुत्री कालूराम पत्नी श्री गणपत जी शर्मा
1/8. श्रीमती धापू पुत्री कालूराम पत्नी गिर्राज जी शर्मा निवासियान् ग्राम भम्भौरी, झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर।
1/9. श्रीमती सम्पत्ति देवी पुत्री कालूराम पत्नी श्री रविशंकर शर्मा निवासी कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—वादीगण

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र सीताराम
2. ओमप्रकाश पुत्र सीताराम
3. रामगोपाल पुत्र सीताराम
4. बृजबिहारी पुत्र सीताराम
5. मु० तोफा बेवा सीताराम
समस्त जाति ब्राह्मण निवासियान् ग्राम पाटन, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
6. उप पंजीयक बस्सी जिला जयपुर।
7. ग्राम पंचायत पाटन जरिये सरपंच तहसील बस्सी जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर।

— प्रतिवादीगण

वाद बाबत इस्तकार हक दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा— 88, 89 एवं 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:41 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :—

(1) श्री अशोक उपाध्याय — अधिवक्ता वादीगण की ओर से
(2) श्री सचिन शर्मा — अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से

दिनांक 27.02.2026

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

:: निर्णय ::

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी की पैतृक कब्जे काश्त व खुदकाश्त खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 391 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 392 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 394 रकबा 12 बिस्वा, 395 रकबा 5 बिस्वा, 397 रकबा 19 बिस्वा, 403 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 407 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, 409 रकबा 1 बीघा 7 बित्वा, 410 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 413 रकबा 6 बिस्वा, 414 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 415 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 416 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 417 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 419 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 420 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 421 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 422 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, 455 रकबा 1 बीघा 5, बिस्वा, 466 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 468 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 712 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 713 रकबा 14 बिस्वा, 714 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, 719 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 720 रकबा 4 बिस्वा, 721 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 726 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 727 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 728 रकबा 2 बीघा, 729 रकबा 12 बिस्वा, 731 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा, 732 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 777 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 778 रकबा 13 बिस्वा, 795 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 797 रकबा 2 बिस्वा, 798 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 799 रकबा 4 बिस्वा, 606 रकबा 7 बिस्वा, 807 रकबा 5 बिस्वा, 823 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा, 824 रकबा 17 बिस्वा, 889 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 893 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, 896 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 907 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 925 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 928 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा, 939 रकबा 6 बिस्वा, 1456 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 1458 रकबा 14 बिस्वा, 1466 रकबा 13 बिस्वा, 1467 रकबा 12 बिस्वा, 1472 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 1473 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 1522 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 1525 रकबा 18 बिस्वा, 1534 रकबा 2 बिस्वा, 1536 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 1538 रकबा 14 बिस्वा, 1578 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा 1831 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 1832 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 1833 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, 1834 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 1835 रकबा 10 बिस्वा, 1836 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 1837 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 1838 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 1955 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 71 कुल रकबा 126 बीघा 7 बिस्वा, ग्राम पाटन अन्तर्गत तहसील बत्ती जिला जयपुर में स्थित चली आ रही है । उपरोक्त वर्णित भूमि वादी के पूर्वज जानकीलाल की कब्जे खुदकाश्त खातेदारी में मिसल हकियत बन्दोबस्ती सम्वत 1987 में दर्ज है । वादी जानकीलाल के वारिस एवं उत्तराधिकारी है । वादी कालूराम पटेल जानकीलाल का पौत्र एवं श्योसहाय का लड़का है तथा वारिस एवं उत्तराधिकारी है। जानकीलाल जी के दो पुत्र छीतर व श्योसहाय हुए। छीतर का देहावसान जानकीलाल जी के जीवनकाल में ही हो गया तथा श्योसहाय का देहावसान जानकीलाल जी की मृत्यु के करीब 2 साल बाद हो गया । चूंकि जानकीलाल जीव श्योसहाय जी का देहावसान दौराने बंदोबस्त कार्यवाही हो चुका था तथा छीतर व श्योसहाय जी के वारिस नाबालिग थे। वादी

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:41 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त वर्णित पैतृक एवं खुदकाश्त की खातेदारी की भूमि में से वरवक्त बंदोबस्त कार्यवाही सम्वत 2015 लगायत 2034 में वादी की वाद नम्बर । वादी ने जाहिर किया की वर्णित भूमि से के 17 बीघा 5 बिस्वा का खातेदारी इन्द्राज प्रतिवादीगण के पूर्वज रामप्रसाद पुत्र धनजी ने वादी की नाबालगी अवस्था का लाभ उठाकर बंदोबस्त कारकूनान से साकर फर्जकारी से जानकीलाल का पुत्र बनकर पर्चा खातेदारी अपने नाम दर्ज करा लिया जबकि रामप्रताप धनजी का लड़का है तथा जानकीलाल से रामप्रताप का कोई सम्बन्ध व सरोकार कभी नहीं रहा न रामप्रताप वादी के पितामह जानकी लाल का पुत्र अथवा वारिस एवं उत्तराधिकारी नहीं है न ही वादी के परिवार के उसका कोई सम्बन्ध व ताल्लुक ही कभी रहा है । वादी की पैतृक कब्जे खातेदारी व खुद काश्त की भूमि के वरवक्त बन्दोबस्त कार्यवाही प्रतिवादीगण के पूर्व हितधाही रामप्रताप ने बन्दोबस्त कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर तथा फर्जकारी कर वादी के पितामह जानकीलाल का फर्जी पुत्र बनकर साबिक खसरा नम्बर 1010 रकबा 18 बिस्वा, 1011 रकबा 16 बिस्वा, 1028 रकबा 17 बिस्वा भामी टुकड़ी 1, 1029 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा 1 भैंरोजीवाला, 1039 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 1040 रकबा 2 बिस्वा, 1044 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा 2 दयारामवाला 1, 1045 रकबा 6 बिस्वा, 1047 रकबा 8 बिस्वा, 1056 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 1057 रकबा 2 बिस्वा, 1060 रकबा 1 बीघा, 1712 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 1713 रकबा 1 बिस्वा, 1714 रकबा 3 बिस्वा, 1723 रकबा 1 बीघा 2, 1730–1731 रकबा 2 बीघा कुल किता 17 कुल रकबा 19 बीघा 5 बिस्वा की पर्चा खातेदारी सम्वत 2015 से 2034 अपने नाम दर्ज करा ली। बन्दोबस्त कार्यवाही के दौरान प्रतिवादीगण के पूर्व हितधारी रामप्रताप द्वारा फर्जकारी से अपने नाम कराया गया खातेदारी इन्द्राज पूर्णतया अवैध एवं प्रभावशून्य है जिसके आधार पर रामप्रताप व उसके वारितान प्रतिवादीगण को कोई हित व अधिकार वादी की पैतृक कब्जे व खुदकाश्त की खातेदारी की भूमि में अर्जित नहीं हो सकते न ही बन्दोबस्त कारकूनों को वादी की पैतृक कब्जे व खातेदारी की भूमि का इन्द्राज रामप्रताप के नाम दर्ज करने का ही क्षेत्राधिकार प्राप्त था । वादीगण की भूमि का रामप्रताप द्वारा जानकीलाल जी का फर्जकारी से पुत्र बनकर उपरोक्त वर्णित 19 बीघा 5 बिस्वा भूमि का अपने नाम दर्ज कराई गई भूमि के वरवक्त एकीकरण कार्यवाही मे नये चक नम्बर 322 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, 273 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, 307 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 316 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, 328 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 21 बीघा 6 बि[illegible] कायम किये गये। उपरोक्त वर्णित भूमि का खातेदारी इन्द्राज रामप्रताप के नाम अवैध [illegible] होने के कारण उसकी मृत्यु के पश्चात खातेदारी इन्द्राज बतौर वारिस प्रतिवादीगण [illegible] नाम दर्ज हुआ है। मद नं. 6 मे वर्णित उपरोक्त भूमि के हाल अवधि बन्दोबस्त [illegible] 2002 से 2002 मैं नये खसरा नम्बर 423 रकबा 0.20, 1209 रकबा 0.46, 1229 रकबा 0.24, 1230 रकबा 0.52, 1234 रकबा 0.02, 1235 रकबा 0.20, 1236 रकबा 0.06 1237 रकबा 0.47, 1238 रकबा 0.63, 1239 रकबा 0.26 1249 रकबा 0.31, 1250 रकबा 0.30, 125 रकबा 0.19, 1252 रकबा 0.06. 1253 रकबा 0.40, 1254

Signature Not Verified
Digitally signed by Surjan Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:41 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
आमेर न. जयपुर

रकबा 0.10, 1255 रकबा 0.10 12600 रकबा 0.09, 1367 रकबा 0.66, 1506 रकबा 1.52, 1507 रकबा 00:33, 1523 रकबा 0.38, 422 रकबा 0.50 कुल किता 23 कुल रकबा 8 हेक्टेयर कायम किये गये है। बाद में उपरोक्त वर्णित भूमि वादग्रस्त है। प्रतिवादीगण के पूर्व हितधारी रामप्रताप द्वारा वादी की पैतृक कब्जे एवं खुदकाश्त की खातेदारी की भूमि के अपने नाम कराये गये उक्त इन्द्राज के बावजूद वादग्रस्त भूमि पर रामप्रताप का कभी कब्जा काश्त नहीं' रहा भूमि वादग्रस्त पूर्वजों के समय से वादी के कब्जे काश्त में चली आ रही है तथक वादी ही स्वयं अथवा साझे मैं सीरी रखकर काश्त कराता चला आ रहा है । तथा अपने शामलाती चाह से सिंचित करता चला आ रहा है। अभी दिनाँक 17.18. 2008 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 कुछ अजनबी लोगों को वादग्रस्त भूमि पर लाये तथा भूमि को दिखाने लगे वादी को जब इस बात का पता चला तो वादी ने उक्त लोगों से आने का कारण पूछा तो उन्होंने भूमि क्रय करने के लिए देखने आना बताया । इस पर वादी ने भूमि अपनी पैतृक कब्जे व खातेदारी की होना बताया तो प्रतिवादीगण के साथ आये लोग चले गये तथा प्रतिवादीगण वादी से नाराज होकर झगडा फसाद पर आमादा हो गये तथा खातेदारी अपने नाम होना जाहिर किया एवं भूमि का बेचान कर दीगर लोगों को कब्जा करवाकर बेदखल करने की ऐलानियाँ धमकी दी जिसके कारण वादी को अपनी पैतृक कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि का प्रतिवादीगण के नाम रामप्रताप के नाम हुए अवैध इन्द्राज को प्रभाव शून्य घोषित कराकर खातेदार काश्तकार घोषित कराना आवश्यक हुआ तथा वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज अवैध खातेदारी इन्द्राज को निरस्त कराकर अपना नाम खातेदारी मैं दर्ज कराकर दुरुस्ती कराना आवश्यक हुआ। प्रतिवादीगण वादी की पैतृक खुदकाश्त व खातेदारी की भूमि के अपने नाम चले आ रहे अवैध दर्ज खातेदारी इन्द्राज के आधार पर भूमि वादग्रस्त का विक्रय एवं हस्तान्तरण कर दीगर लोगों को काबिज कराकर वादी को बेदखल कराने पर आमादा है जबकि प्रतिवादीगण का वादी की पैतृक कब्जे व खातेदारी की भूमि मे कोई सम्बन्ध व अधिकार नहीं है वादी को पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त है कि यह प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाहा से पाबन्द करायें।

वादपत्र के साथ वादी ने प्रमाणित प्रतिलिपि मिसल हकियत बंदोबसत संवत 1987, मिलान क्षेत्रफल संवत 2015 से 2034 ग्राम पाटन, खतौनी जमाबंदी संवत 2015 से 2034 खसरा संख्या 211, खतैनी एकीकरण संवत 2019, मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण, जमाबंदी संवत 206 से 2063 खाता संख्या 272 पेश किया।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर होने के उपरान्त प्रतिवादीगण को ... की गई तथा प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 8 की ओर कोई उपस्थित नहीं होने के ... दिनांक 29.08.2008 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से जवाब दावा पेश हुआ। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 की पैतृक कब्जे काश्त एवं खातेदारी की विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर प्र. जयपुर

भूमि हाल खसरा नम्बर 423, 1209, 1230, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1260, 1367, 1506, 1507, 1523, 422 कुल किता 23 कुल रकबा 8 हेक्टेयर स्थित ग्राम पाटन के सम्बन्ध मैं पेश किया जिसकी वर्तमान मैं खातेदारी प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के नाम दर्ज है एवं मौके पर प्रतिपादीगण 1 लगायत 5 काविज काश्त है एवं विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 की हरी पसल की हुई है एवम् पूर्व में संवत 2002 मे ही इस वाद की विवादित भूमि का पट्टा जयपुर गवर्नमेण्ट द्वारा ही प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के पूर्वजों रामप्रताप व सूज्या उर्फ सूरजमल पुत्रान घनसी को जारी कर दिया गया था एवं उसके बाद से लगातार विवादित भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के पूर्वजा रामप्रताप, सूरजमल पुत्रान घनसी के नाम रही है एवं रामप्रताप पुत्र घनसी की मृत्यु नाऔलाद हो चुकी है एवं रामप्रताप, सूरजमल पुत्रान घनसी की मृत्यु के बाद इस वाद की विवादित भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के पिता व पति सीताराम पुत्र सूरजमल के नाम विरासत के आधार पर दर्ज हुई एवं उनकी मृत्यु के बाद विवादित भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के नाम विरासत के आधार पर दर्ज हुई है एवं इस वाद की विवादित भूमि पर मात्र प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के पूर्वजों एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 का ही कब्जा काश्त रहा है एवं खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है एवं वादी एवं उसके किसी भी पूर्वज का इस वाद की विवादित भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है एवं न ही वर्तमान में कोई कब्जा है एवं न ही कभी इस वाद की विवादित भूमि की खातेदारी वादी के किसी भी पूर्वज के नाम रही है। इस प्रकार वादी ने यह वाद बिना किसी हक व अधिकार के व कब्जे के अभाव में पेश किया है जो प्रारम्भिक स्तर पर ही एवं सरसरी तौर पर भारी हर्जे खर्चे के साथ खारिज किये जाते योग्य है । वादी ने अपने दावे के साथ ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे इस वाद की विवादित भूमि की खातेदारी उनके किसी पूर्वज के नाम कभी राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना साबित होता हो एवं वादी ने विवादित भूमि के सम्वत 2015 में जो खतरा नम्बरान बतलाये है वह बतलाये है ख. नं 1010, 1011, 1028, 1029, 1039, 1040, 1044, 1045, 1047, 1056, 1057, 1060, 1712, 1713, 1714, 1723, 1730, 1731 जबकि इस वाद की विवादित भूमि के समय सम्वत 2015 में खसरा नम्बरान रहे है खतरा नम्बर 808, 809, 810, 898, 899, 900, 930, 941, 940, 939, 929, 942, 943, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 959, [illegible] 1041/2 एवं दौराने एकीकरण इस वाद की विवादित भूमि के खतरा नम्बरान रहे है [illegible] 241, 313, 325 हाल अवधि बन्दोबस्त कार्यवाही सन् 2002 से 2003 में विवादित भूमि के नये उसरा नम्बरान बने है 423, 1209, 1229, 1230, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, [illegible] 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1260, 1367, 1506, 1507, 1523, 422 कुल किता 23 कुल रकबा 8 हेक्टेयर बने है। वादी ने जान बूझकर अपने दावे के साथ विवादित भूमि के कोई मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किये है, जिससे विवादित भूमि के बताकर नम्बर का मिलान विवादित भूमि के दौराने

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

एकीकरण में रहे खसरा नम्बरों एवं दौराने भूप्रबन्ध संवत 2015 में रहे खसरा नम्बर क्षेत्रफल जिससे विवादित भूमि के मिसल हकीयत सम्वत 1987 में रहे खसरा नम्बर का मिलान हो सके। क्योंकि वादी यह भली भांति जानता है कि प्रतिवादी गण 1 लगायत 5 की इस वाद की विवादित भूमि की खातेदारी मेरे किसी भी पूर्वज के नाम नहीं रही है एवं इसके मिलान क्षेत्र फल पेश किये गये तो न्यायालय के समक्ष वास्तविक स्थिति आ जावेगी एवं मान्य न्यायालय द्वारा हमें फटकार मिलेगी एवं भारी कोस्ट भी न्यायालय द्वारा मुझ वादी पर लगा दी जावेगी। एवं यह दावा प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज हो जावेगा।

पत्रावली में प्रस्तुत जवाबदावा व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा निम्नानुसार तनकीयात् कायम की गई।

1. आया यह है कि वाद के मद संख्या 1 में वर्णित विवादित भूमि की 19 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादी के पूर्वज जानकीलाल की कब्जे काश्त एवं खातेदारी में सम्बत 1987 की मीशल हकीयत में दर्ज रही है, और जीवनलाल के वारिस होने के नाते खातेदारी वादी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

   ....जिम्मे वादी

2. आया यह है कि वादी वाद के मद नम्बर 1 में वर्णित विवादित भूमि की 19 बीघा 5 बिस्वा भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की शाश्वत स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादी को विवादित भूमि को हिस्सेनुसार काश्त करने में बाधा नहीं डाले एवं राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

   जिम्मे वादी

3. आया यह है कि वादी के किसी भी पूर्वज के नाम इस वाद की विवादित भूमि की खातेदारी कभी दर्ज नहीं रही है एवं न ही कभी कोई कब्जा काश्त रहा है।

   जिम्मे प्रतिवादीगण

4. आया यह है कि इस वाद की विवादित भूमि में वादी के कोई हक व अधिकार नहीं बनते है, एवं न ही वादी का कोई कब्जा काश्त है।

   जिम्मे प्रतिवादीगण

5. आया यह है कि इस वाद की विवादित भूमि प्रतिवादीगण की पैतृक कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि रही है जो विरासत के आधार पर अपने पूर्वजों से प्रतिवादीगण को प्राप्त हुई है, एवं वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है एवं प्रतिवादीगण ही विवादित भूमि पर काबिज काश्त है।

   जिम्मे प्रतिवादीगण

6. आया यह है कि वादी विधि के प्रावधानों के सरासर विरूद्ध होने के कारण कानूनी रूप से चलने योग्य नहीं खारिज किये जाने योग्य है।

   जिम्मे प्रतिवादीगण

तदुपरान्त साक्ष्य वादी हेतु वादी स्वयं तथा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:41 IST
Reason: SelfAttested

1. PW1 श्री कालूराम पुत्र श्योसहाय जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पाटन, तहसील बस्सी, जिला जयपुर राजस्थान।

दस्तावेजी साक्ष्य में मिसल हकीयत बंदोबस्त संवत 1987 प्रदर्श–1, मिलान क्षेत्रफल संवत 2015 से 2034 ग्राम पाटन– प्रदर्श 2, खतौनी जमाबंदी संवत जमाबंदी 2015 से 2034 खाता संख्या 211 प्रदर्श– 3, खतौनी एकीकरण संवत 2019 खाता संख्या 176 प्रदर्श –4,

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण प्रदर्श– 5, जमाबंदी संवत 2060 से 2063 खाता संख्या 272 प्रदर्श– 6 उक्त दस्तावेजात को दौराने बहस अंतिम प्रदर्शित किया गया।

साक्ष्य प्रतिवादी हेतु प्रतिवादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

1 DW1 बृजबिहारी पुत्र सीताराम जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम पाटन, तहसील बस्सी, जिला जयपुर राजस्थान।

2 DW2 सत्यनारायण पुत्र सीताराम जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम पाटन, तहसील बस्सी, जिला जयपुर राजस्थान।

दस्तावेज साक्ष्य में प्रतिवादी पक्ष द्वारा भूमि वाद पत्र की संवत 2060–63 की जमाबंदी नकल प्रदर्श– डी–1, हाल भू–प्रबंध सन् 2022 के मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित नकल प्रदर्श– डी–2, जमाबंदी संवत 2052–2055 प्रदर्श– डी–3, प्रमाणित जमाबंदी खतौनी एकीकरण नकल प्रदर्श डी–4, प्रमाणित नकल मिलान क्षेत्रफल एकीकरण प्रदर्श डी–5, सन् 1945 के जयपुर गर्वनमेंट के पट्टे की प्रमाणित नकल प्रदर्श– डी–6, संवत 2028–2035 की खसरा गिरदावरी की प्रमाणित नकल प्रदर्श– डी–7, नामांतकरण संख्या 466 प्रमाणित नकल प्रदर्श डी–8, वाद पत्र में वर्णित भूमि की लगान की रसीदे जो प्रदर्श डी– 9 प्रतिवादी ने प्रदर्शित करवाया।

हमने विद्वान अधिवक्तागण वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी। प्रतिवादीगण द्वारा अपनी लिखित बहस में यह तर्क दिया गया है कि न्यायालय के आदेश दिनांक 19.11. 2010 तथा 07.06.2012 के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों (मिसल हकीयत आदि) को 'विसंगत' मानते हुए उन पर प्रदर्श नहीं डाले गए हैं । इस संबंध में न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त आदेशों का मूल भाव यह था कि इन दस्तावेजों की प्रासंगिकता और साक्ष्य में इन्हें पढ़े जाने का अंतिम विनिश्चय अंतिम निर्णय के प्रक्रम (Final Stage) पर किया जाएगा। चूँकि आज पत्रावली अंतिम निर्णय हेतु नियत है, अतः न्यायहित में और गुण–दोष (Merits) के आधार पर वाद का निस्तारण करने हेतु, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को साक्ष्य में पढ़ा गया है और पत्रावली पर उन्हें प्रदर्श–1 से प्रदर्श–6 के रूप में अंकित कर उनका पूर्ण विवेचन किया जा रहा है ।

तनकीयात निम्नानुसार निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 1: आया यह है कि वाद के मद संख्या 1 में वर्णित विवादित भूमि की 19 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादी के पूर्वज जगन्नाथ लाल की कब्जे काश्त एवं खातेदारी में सम्बत 1987 की मीशल हकीयत में दर्ज रही है और जीवनलाल के वारिस होने के नाते खातेदारी वादी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

.........जिम्मे वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:41 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 2: आया यह है कि वादी वाद के मद नम्बर 1 में वर्णित विवादित भूमि की 19 बीघा 5 बिस्वा भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की शाश्वत स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादी को विवादित

सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

भूमि को हिस्सेनुसार काश्त करने में बाधा नहीं डाले एवं राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

जिम्मे वादी

इन दोनों तनकियों को साबित करने का भार वादी पर था। वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में PW–1 कालूराम के बयान दर्ज करवाए गए । वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मिसल हकीयत बंदोबस्त संवत 1987 (प्रदर्श–1), मिलान क्षेत्रफल संवत 2015 से 2034 (प्रदर्श–2), खतौनी जमाबंदी संवत 2015 से 2034 (प्रदर्श–3), खतौनी एकीकरण संवत 2019 (प्रदर्श–4), मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण (प्रदर्श–5), और जमाबंदी संवत 2060 से 2063 (प्रदर्श–6) प्रस्तुत किए हैं । वादी का मुख्य तर्क यह है कि संवत 1987 में भूमि उनके पूर्वज जानकीलाल के नाम थी और संवत 2015–2034 के बंदोबस्त में प्रतिवादीगण के पूर्वज रामप्रताप (पुत्र धनजी) ने फर्जी तरीके से खुद को जानकीलाल का पुत्र बताकर खातेदारी अपने नाम करवा ली । न्यायालय द्वारा वादी के प्रदर्श–1 (मिसल हकीयत संवत 1987) सहित सभी दस्तावेजों का गहनता से परीक्षण किया गया। यद्यपि वादी ने पुराने खसरा नंबर (1010, 1011 आदि) की मिसल हकीयत पेश की है, परंतु वादी यह निर्विवाद रूप से साबित करने में विफल रहा है कि वर्तमान विवादित भूमि (हाल खसरा 422, 423, 1209 आदि) का मिलान बिना किसी त्रुटि के उन्हीं पुराने नंबरों से होता है । इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वादी संवत 2015 में हुए कथित "फर्जीवाड़े" का आरोप लगाता है, परंतु प्रतिवादीगण के पास विवादित भूमि का सन् 1945 (संवत 2002) का जयपुर गवर्नमेन्ट द्वारा जारी किया गया पट्टा मौजूद है, जो रामप्रताप व सूरजमल पुत्रान धनसी के नाम है । यदि प्रतिवादीगण के पूर्वजों को संवत 2002 में ही राज्य द्वारा स्वतंत्र रूप से पट्टा जारी कर दिया गया था, तो संवत 2015 में रामप्रताप द्वारा जानकीलाल का दत्तक पुत्र बनकर फर्जीवाड़ा करने की वादी की कहानी साक्ष्यों की कसौटी पर खण्डित हो जाती है। वादी ने इस सन् 1945 के पट्टे को कभी चुनौती नहीं दी।वादी के दस्तावेजों को साक्ष्य में पूर्ण रूप से पढ़े जाने के बावजूद, केवल संवत 1987 की एक पुरानी प्रविष्टि के आधार पर, प्रतिवादीगण के पक्ष में 1945 से चले आ रहे निरंतर रिकॉर्ड और राज्य द्वारा प्रदत्त पट्टे को दरकिनार नहीं किया जा सकता। वादी वर्तमान में न तो काश्तकार के रूप में और न ही मौके पर काबिज साबित हुआ है। अतः वादी अपने दस्तावेजों (प्रदर्श 1 से 6) व मौखिक साक्ष्य के आधार पर विवादित भूमि पर अपना स्वत्व व वर्तमान कब्जा साबित करने में विफल रहा है। तदनुसार तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरुद्ध निर्णीत की जाती हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:41 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 3: आया यह है कि वादी के किसी भी पूर्वज के नाम इस वाद की विवादित भूमि की खातेदारी कभी दर्ज नहीं रही है एवं न ही कभी कोई कब्जा काश्त रहा है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

तनकी संख्या 4: आया यह है कि इस वाद की विवादित भूमि में वादी के कोई हक व अधिकार नहीं बनते है, एवं न ही वादी का कोई कब्जा काश्त है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 5: आया यह है कि इस वाद की विवादित भूमि प्रतिवादीगण की पैतृक कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि रही है जो विरासत के आधार पर अपने पूर्वजों से प्रतिवादीगण को प्राप्त हुई है, एवं वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है एवं प्रतिवादीगण ही विवादित भूमि पर काबिज काश्त है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

इन तनकियों को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने मौखिक साक्ष्य में DW–1 बृजबिहारी और DW–2 सत्यनारायण के बयान दर्ज करवाए, जिन्होंने जिरह में अडिग रहते हुए विवादित भूमि को अपनी पुश्तैनी और कब्जे की भूमि बताया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रतिवादीगण ने अत्यंत मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, सन् 1945 (संवत 2002) का जयपुर गवर्नमेन्ट का पट्टा (प्रदर्श डी–6 दस्तावेज प्रतिवादीगण के स्वत्व का मूल आधार है, जो यह साबित करता है कि यह भूमि रामप्रताप व सूज्या उर्फ सूरजमल पुत्रान धनसी को राज्य द्वारा आवंटित की गई थी। प्रतिवादीगण ने खतौनी एकीकरण (प्रदर्श डी–4), जमाबंदी संवत 2052–2055 (प्रदर्श डी–3), और हाल जमाबंदी संवत 2060–63 (प्रदर्श डी–1) पेश की है, जो निरंतर प्रतिवादीगण और उनके पूर्वजों के नाम खातेदारी सिद्ध करते हैं। संवत 2028–2035 की खसरा गिरदावरी (प्रदर्श डी–7) और लगान की रसीदें (प्रदर्श डी–9) मौके पर प्रतिवादीगण का वास्तविक एवं शांतिपूर्ण कब्जा प्रमाणित करती हैं । प्रतिवादीगण के गवाहों से वादी पक्ष द्वारा की गई जिरह में ऐसा कोई तथ्य उभर कर नहीं आया जो प्रतिवादीगण के स्वत्व या कब्जे को झुठला सके। वादी पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि प्रतिवादीगण का 1945 का पट्टा जाली है। प्रतिवादीगण ने अपने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों (प्रदर्श डी–1 से डी–9) से यह संदेह रहित रूप से साबित किया है कि विवादित भूमि उनकी पैतृक, पट्टेसुदा खातेदारी की भूमि है और वादी का इससे कोई सरोकार नहीं है। अतः तनकी संख्या 3, 4 व 5 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती हैं।

तनकी संख्या 6 : क्या वादी का वाद विधि के प्रावधानों के सरासर विरुद्ध होने के कारण कानूनी रूप से चलने योग्य नहीं है तथा खारिज किये जाने योग्य है? (प्रमाण भारः प्रतिवादीगण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:41 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरुद्ध निर्णित होने से उक्त तनकी स्वतः ही प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

:: आदेश ::

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों (वादी के प्रदर्श 1 से 6 सहित) के गहन विश्लेषण के आधार पर, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि

वादीगण विवादित भूमि पर अपना स्वत्व व कब्जा साबित करने में पूर्णतः विफल रहे हैं (तनकी 1 व 2 वादी के विरुद्ध)। इसके विपरीत, प्रतिवादीगण ने अपने पक्ष व स्वत्व को वैध पट्टे एवं निरंतर राजस्व रिकॉर्ड से साबित किया है। अतः वादी कालूराम आदि द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादी सत्यनारायण आदि मेरिट (गुण–दोष) के आधार पर खारिज किया जाता है ।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:41 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी सुमन चौधरी (आर.ए.एस)

नियमित वाद संख्या – 65/2014 वाद प्रस्तुति दिनांक – 20.08.2008

कालूराम पटेल पुत्र श्री श्योसहाय जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पाटन तहसील बस्सी जिला जयपुर (मृतक जरिये वारिसान)

1/1. श्रीमती प्रभाती देवी पत्नी कालूराम
1/2. कैलाशचन्द पुत्र कालूराम
1/3. हरिशंकर पुत्र कालूराम
1/4. राधामोहन पुत्र कालूराम निवासियान् ग्राम पाटन, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
1/5. श्रीमती रामेश्वररी देवी पुत्री कालूराम पत्नी श्री रेवडजी
1/6. श्रीमती विमला पुत्री कालूराम पत्नी श्री रामजीलाल निवासियान् बनेडा, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
1/7. श्रीमती शिमला पुत्री कालूराम पत्नी श्री गणपत जी शर्मा
1/8. श्रीमती धापू पुत्री कालूराम पत्नी गिर्राज जी शर्मा निवासियान् ग्राम भम्भौरी, झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर।
1/9. श्रीमती सम्पत्ति देवी पुत्री कालूराम पत्नी श्री रविशंकर शर्मा निवासी कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र सीताराम
2. ओमप्रकाश पुत्र सीताराम
3. रामगोपाल पुत्र सीताराम
4. बृजबिहारी पुत्र सीताराम
5. मु० तोफा बेवा सीताराम
   समस्त जाति ब्राह्मण निवासियान् ग्राम पाटन, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
6. उप पंजीयक बस्सी जिला जयपुर।
7. ग्राम पंचायत पाटन जरिये सरपंच तहसील बस्सी जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार तहसीलदार बरसी जिला जयपुर।

– प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा– 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 27.02.2026

वादीगण विवादित भूमि पर अपना स्वत्व व कब्जा साबित करने में पूर्णतः विफल रहे हैं (तनकी 1 व 2 वादी के वि[illegible] उसके विपरीत, प्रतिवादीगण ने अपने पक्ष व स्वत्व को वैध पट्टे एवं निरंतर राजस्व रिकॉर्ड से सा[illegible] है। अतः वादी कालूराम आदि द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा [illegible] विरुद्ध प्रतिवादी सत्यनारायण आदि मेरिट (गुण–दोष) के आधार पर खारिज किया जाता [illegible] 2026 को जारी किया।

बसखत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख [illegible]

दस्तखत ——
ओहदा ——

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:41 IST
Reason: SelfAttested